भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5048

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

संभार तंत्र लागत में कमी

5048. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संभार तंत्र लागत को वर्तमान के जीडीपी के 14 प्रतिशत से कम करके 2022 तक 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या क्षमता उपयोग का अधिकतम लाभ उठाने और लागत घटाने के लिए संभार तंत्र श्रृंखला में एक–दूसरे की मदद के लिए वर्तमान अवसंरचना का लाभ उठाने की अविलंब आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
(ग) क्या भारत का संभार तंत्र क्षेत्र बहुत ज्यादा डिफ्रेगमेंटिड है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
(घ) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आगतों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केंद्र सरकार का सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए किसी नई सड़क, रेलवे विमानपत्तन और पोत परिवहन बंदरगाह परियोजना पर विचार करते समय संभार तंत्र विभाग का परामर्श लेना अनिवार्य बनाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी हां । इस लक्ष्य को रेल परिवहन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अनेक नीतिगत पहलों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(ख): जी हां । संभारतंत्र के लिए एक एकीकृत अभिगम प्राप्त करने के लिए, सरकार की विभिन्न संभारतंत्र पहलों का समन्वयन करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक अलग विभाग बनाया गया है।

(ग): जी हां । निर्बाध बहुविध परिवहन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास है।

(घ): जी हां । मंत्रालयों के इनपुटों पर विचार किया गया और उन्हें मसौदा राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति में शामिल किया गया है, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

(ड.): परामर्श की प्रक्रिया विशेष रूप से तब वांछनीय है जब इसमें बहुविध एकीकरण शामिल हो।

(च): अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को मिलाकर विशेष सचिव (संभारतंत्र) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समूह बनाया गया है, ताकि सभी मंत्रालयों में परामर्श की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके ।